न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 713/2022

अनवान : –

1. सुलेन्द्र पुत्र बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. दर्शना पुत्री बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. सुदेश कुमार पुत्र स्व0 माया पुत्री बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. अनिता पुत्री स्व0 माया पुत्री बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **असल प्रतिवादीगण**

5. गीता पुत्री बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. मली देवी उर्फ कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 6/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता स0 172/104 की कुल 6.3740है0 भूमि एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 54/33 की कुल 2.5300है भूमि स्थित है जिसके पूर्व में वादी के पिता बलराम खातेदार काश्तकार थे।

वादी के पिता बलराम फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त भूमि उनके वारिसान के नाम विरासतन दर्ज हो चुकी है। वादी की बहिन माया फौत हो चुकी है तथा जिसके वारिसान प्रतिवादी स0 3 ता 4 है तथा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 172/104 की कुल 6.3740है0 भूमि एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 54/33 की कुल 2.5300है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 व 5 ता 6 बहिब खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वाद भूमि में दर्ज प्रतिवादी स0 1 वादी की बहिन है प्रतिवादीगण स0 2 व 3 वादी की बहिन के पुत्र व पुत्रीयान है जो कि उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है। रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता स0 172/104 की कुल 6.3740है0 भूमि एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 54/33 की कुल 2.5300है0 भूमि में वादी अकेला 3/5 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी स0 4 व 5 प्रत्येंक का 1/5 हिस्सा के खातेदार

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:59:04 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार है एवं माया व मृतक दर्शना का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है इसी आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 172/104 की कुल 6.3740है0 भूमि एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 54/33 की कुल 2.5300है0 भूमि में वादी व मृतक दर्शना, माया तथा प्रतिवादी स0 5 व 6 के बहिब खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रतिवादी स0 1, 5, 6 वादी की बहिन है। प्रतिवादीगण स0 2 व 3 वादी कि बहिन के पुत्र व पुत्रीयान है जो कि उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है इसलिए रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 172/104 की कुल 6.3740है0 भूमि एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 54/33 की कुल 2.5300है0 भूमि में वादी अकेला खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी स0 1, 5 व 6 तथा मृतक माया का नाम कलमजन करवा पाने का अधिकारी है। उक्त भूमि मुताबिक राजीनामा के अनुसार वादी प्रथम पक्षकार के नाम दर्ज की जाती है तो हम द्वितीय पक्षकारान को कोई उजर एवं एतराज नही है हमारी पूर्णतया सहमती है। हम पक्षकारान भविष्य में उक्त भूमि बाबत कोई दावा आपत्ति नही करेंगे तथा उक्त राजीनामा पूर्णतया सहमत है।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 172/104 ईएक्सपी–1, जमाबंदी रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 54/33 ईएक्सपी–2, मृत्यु प्रमाण पत्र माया ईएक्सपी–3, वारिस प्रमाण पत्र माया ईएक्सपी–4 आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 व 5 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 172/104 की कुल 6.3740है0 भूमि एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 54/33 की कुल 2.5300है0 भूमि वादी, प्रतिवादी स01, प्रतिवादी स0 5, प्रतिवादी स0 6 व मृतक माया के नाम बहिब राजस्व रिकार्ड दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक बलराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 व 5 ता 6 कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है एवं उक्त वाद भूमि का वादी अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीगण 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा मुताबिक राजीनामा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 172/104 की कुल 6.3740है0 भूमि एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 54/33 की कुल 2.5300है0 भूमि वादी, प्रतिवादी स01, प्रतिवादी स0 5, प्रतिवादी स0 6 व मृतक माया के नाम बहिब राजस्व रिकार्ड दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1, 5 ,6 व मृतक माया पुत्री बलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:59:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 713/2022

अनवान : –

1. सुलेन्द्र पुत्र बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. दर्शना पुत्री बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. सुदेश कुमार पुत्र स्व0 माया पुत्री बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. अनिता पुत्री स्व0 माया पुत्री बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **असल प्रतिवादीगण**

5. गीता पुत्री बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. मली देवी उर्फ कलावती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनाम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 172/104 की कुल 6. 3740है0 भूमि एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 54/33 की कुल 2. 5300है0 भूमि वादी, प्रतिवादी स01, प्रतिवादी स0 5, प्रतिवादी स0 6 व मृतक माया के नाम बहिब राजस्व रिकार्ड दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1, 5 ,6 व मृतक माया पुत्री बलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:59:04 IST
Reason: SelfAttested